न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–भिण्ड

पूरनलाल पुत्र श्री बिहारी धानुक
निवासी– पचैरा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– लोटन मृत पुत्र श्री कुन्दन
2– शंकर पुत्र श्री कुन्दन
3– अशोक पुत्र श्री रामस्वरूप त्यागी
4– प्रयाग पुत्र श्री नोबति
5– फलावती पुत्र श्री बेवा नोबति

निवासीगण– पचैरा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2014–15 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 30.01.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, मौजा पचैरा में स्थित भूमि पुराने सर्वे नं. 972 रकवा 0.115, 973 रकवा 0.10, 2237 रकवा 0.240, 2238 रकवा 0.293, 2219 रकवा 0.261, 2242 रकवा 0.973 कुल किता 6 कुल रकवा 1.987 है0 बंदोबस्त बाद पुराने सर्वे नं. 972, 973 का सर्वे नं. 1524 सर्वे क्रमांक 2238, 2242 का नया सर्वे क्रमांक 2174 सर्वे क्रमांक 2219 का नया सर्वे क्रमांक 1989 बना है एवं 2242 का नया 2173 एवं सर्वे क्रमांक 2237 एवं 2242 का नया नं. 2177 ओर 2242 का 2169 बनाया गया है। जिसमें आवेदक का हिस्सा 1/2 तथा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का हिस्सा 1/4 तथा अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 5 का हिस्सा 1/4 है। उसी हिस्से के अनुसार पक्षकारों में आपसी हिस्सा बांट पूर्व से चला आ रहा है, किन्तु शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिये उभय पक्षो ने सहमति के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत को भूमि का बंटवारा किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही की जाकर फर्दो का प्रकाशन किया गया एवं आपत्ति आमंत्रित की गयी तत्पश्चात् उभय पक्ष की सहमति के आधार पर पटवारी की ओर से प्रस्तुत

XXIX(a)-BR(H)-11

106

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-519-एक/16 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	